The Jharkhand Contingency Fund Act, 2001

Act 9 of 2001

Keyword(s):
Unforseen Expenditure, Governor

Amendment appended: 2 of 2023

DISCLAIMER: This document is being furnished to you for your information by PRS Legislative Research (PRS). The contents of this document have been obtained from sources PRS believes to be reliable. These contents have not been independently verified, and PRS makes no representation or warranty as to the accuracy, completeness or correctness. In some cases the Principal Act and/or Amendment Act may not be available. Principal Acts may or may not include subsequent amendments. For authoritative text, please contact the relevant state department concerned or refer to the latest government publication or the gazette notification. Any person using this material should take their own professional and legal advice before acting on any information contained in this document. PRS or any persons connected with it do not accept any liability arising from the use of this document. PRS or any persons connected with it shall not be in any way responsible for any loss, damage, or distress to any person on account of any action taken or not taken on the basis of this document.

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

4 ज्येष्ठ, 1923 शकाब्द

संख्या 106

राँची, शुक्रवार 25 मई, 2001

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

25 मई, 2001

संख्या-एल० जी०-01/2000 लेज : 09—झारखण्ड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिस पर राज्यपाल 10 अप्रील, 2001 को अनुमति दे चुके हैं; इसके द्वारा सर्वसाधारण की सूचना के लिए प्रकाशित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,
प्रशांत कुमार,
संयुक्त सचिव,
विधि (विधान) विभाग, झारखण्ड, राँची।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001

[झारखण्ड अधिनियम 09, 2001]

बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के द्वारा झारखण्ड राज्य के गठन के फलस्वरूप झारखण्ड राज्य के अप्रत्याशित व्ययों को पूरा करने के लिए आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण हेतु अधिनियम।

प्रस्तावना :—चूँकि, केन्द्र सरकार द्वारा बिहार पुनर्गठन अधिनियम, 2000 के तहत अलग झारखण्ड राज्य का गठन किया गया है।

और, चूँकि, यह आवश्यक है कि झारखण्ड राज्य में एक आकस्मिकता निधि के गठन एवं अनुरक्षण की व्यवस्था की जाए और उक्त निधि को झारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जाए, राज्य विधायिका द्वारा विधिवत् विनियोग प्राधिकृत होने तक, राज्य में होने वाले अप्रत्याशित व्यय के लिए राज्यपाल द्वारा उक्त निधि से अग्रिम प्राधिकृत किया जा सकेगा,

और, चूँकि, भारत के संविधान के अनुच्छेद 267 के खण्ड-2 के द्वारा राज्य को विधायिका को विधिवत् इस प्रकार की निधि के गठन की शक्ति प्रदान की गई है,

और, चूंकि, सरकार का यह समाधान हो गया है कि उक्त झारखण्ड आकस्मिकता निधि का गठन जनहित में आवश्यक है,

और, चूंकि, झारखण्ड के राज्यपाल का समाधान हो गया है कि ऐसी परिस्थितियां विद्यमान है, जिनके कारण झारखण्ड आकस्मिकता निधि का गठन करने के लिए तुरन्त कार्रवाई करना आवश्यक हो गया है,

इसलिए भारत गणराज्य के बावनवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मण्डल द्वारा निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

-: परिच्छेद :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार एवं प्रारम्भ :-

(1) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता विधि अधिनियम, 2001 कहा जा सकेगा।

(2) यह तुरन्त प्रवृत होगा।

2. निर्वचन-अब तक कि संदर्भ में अन्यथा अपेक्षित न हो

इस अधिनियम में निधि से तात्पर्य है धारा-3 के द्वारा स्थापित झारखण्ड आकस्मिकता निधि,

इस अधिनियम में 'राज्य सरकार' से तात्पर्य है, झारखण्ड राज्य सरकार'।

परिच्छेद-II

3. झारखण्ड आकस्मिकता निधि की स्थापना :

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार झारखण्ड राज्य के लिए 'झारखण्ड आकस्मिकता निधि' नामक एक निधि की स्थापना करेगी जो झारखण्ड राज्यपाल के अधीन रखा जायेगा।

4. राज्य की संचित निधि से 150 करोड़ (एक सौ पचास करोड़) को रकम की निकासी एवं झारखण्ड आकस्मिकता निधि में उसका जमा किया जाना -

इस अधिनियम के प्रारम्भ होने पर राज्य सरकार झारखण्ड राज्य की संचित निधि से एक सौ पचास करोड़ रुपये की रकम का निकासी करेगी और इसे निधि में जमा कर देगी।

5. नियम बनाने की शक्तियां :—झारखण्ड राज्य सरकार विधि के अन्तर्गत झारखण्ड आकस्मिकता निधि नियमावली बना सकेगा।

6. निरसन एवं व्यावृति—(1) झारखण्ड आकस्मिकता निधि अध्यादेश, 2000 (झारखण्ड अध्यादेश संख्या 1,2000) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

(2) ऐसे निरसन के होते हुए भी उक्त अध्यादेश के द्वारा या इसके अधीन प्रदत्त शक्ति के प्रयोग में किया गया कोई कार्य या की गई कोई कार्रवाई इस अधिनियम द्वारा या के अधीन प्रदत्त शक्तियों के प्रयोग में किया गया था, की गई समझी जायगी, मानो यह अधिनियम इस दिन प्रवृत था, जिस दिन ऐसा कार्य किया गया था या ऐसी कार्रवाई की गई थी।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

प्रशांत कुमार,

सरकार के संयुक्त सचिव।

—— ——

अधीक्षक, राजकीय मुद्रणालय झारखण्ड, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित।

झारखण्ड गजट (असाधारण) 106—300+500—अति मुण्डा।

सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

18 माघ, 1944 (श०)

संख्या - 72 राँची, मंगलवार, 7 फरवरी, 2023 (ई०)

विधि (विधान) विभाग

अधिसूचना

7 फरवरी, 2023

संख्या-एल०जी०-01/2000-12--लेज०, झारखंड विधान मंडल का निम्नलिखित अधिनियम, जिसपर माननीय राज्यपाल दि-31.01.2023 को अनुमति दे चुके हैं, इसके द्वारा सर्वसाधारण की सुचना के लिए प्रकाशित किया जाता है |

झारखंड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022

(झारखंड अधिनियम- 02, 2023)

<u>विषय सूची</u>

खण्ड ।

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ ।

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में प्रतिस्थापन ।

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022

झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 को संशोधित करने के लिए अधिनियम

भारत गणराज्य के तिहत्तरवें वर्ष में झारखण्ड राज्य विधान-मंडल द्वारा यह निम्नलिखित रूप में अधिनियमित हो :-

1. संक्षिप्त नाम, विस्तार और प्रारम्भ :

>kj[k.M vf/kfu;e 9@2001 dh /kkjk&4 dk l'kks/ku

(i) यह अधिनियम झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022 कहा जा सकेगा ।

(ii) यह तुरंत प्रवृत माना जायेगा ।

2. झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 की धारा-4 में निम्नांकित को प्रतिस्थापित किया जायेगा, अर्थात् :-

झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2022 के प्रवृत्त होने की तिथि से झारखण्ड आकस्मिकता निधि अधिनियम, 2001 के परिच्छेद-**II** के अन्तर्गत धारा-4 में 500 करोड़ (पाँच सौ करोड़) रुपये (झारखण्ड आकस्मिकता निधि (संशोधन) अधिनियम, 2015 द्वारा यथा प्रतिस्थापित) के स्थान पर ‘‘1200 करोड़ (एक हजार दो सौ करोड़) रुपये” प्रतिस्थापित किया जायेगा ।

झारखंड राज्यपाल के आदेश से,

नलिन कुमार,
प्रधान सचिव-सह-विधि परामर्शी
विधि विभाग, झारखंड, रांची

झारखण्ड राजकीय मुद्रणालय, राँची द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित,
झारखण्ड गजट (असाधारण) 72 -- 50